55

अध्याय 5

सेवा-कर

130. वित्त अधिनियम, 1994 में, ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे,--

1994 के अधिनियम 32 का संशोधन ।

(क) धारा 65 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

परिभाषाएं।

'65. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(1) "बीमांकक" का वही अर्थ है जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के खंड (1) में है ; 1938 का 4

(2) "विज्ञापन" के अंतर्गत कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर, दस्तावेज, होर्डिंग या प्रकाश, ध्वनि, धुएं या गैस के माध्यम से किया गया कोई अन्य श्रव्य या दृश्यरूपण है ;

(3) "विज्ञापन अभिकरण" से विज्ञापन बनाने, तैयार करने, संप्रदर्शन या प्रदर्शन से संबंधित कोई सेवा उपलब्ध कराने में लगा हुआ कोई वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विज्ञापन परामर्शी है ;

(4) "वायुमार्ग यात्रा अभिकर्ता" से वायुमार्ग द्वारा यात्रा के लिए यात्रा बुक करने के संबंध में कोई सेवा उपलब्ध कराने में लगा हुआ कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(5) "अपील अधिकरण" से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129 के अधीन गठित सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण अभिप्रेत है ; 1962 का 52

(6) "वास्तुविद्" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका नाम, तत्समय, वास्तुविद् अधिनियम, 1972 की धारा 23 के अधीन रखे गए वास्तुविदों के रजिस्टर में दर्ज है और इसके अंतर्गत किसी भी रीति से स्थापत्य कला के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगा हुआ कोई वाणिज्यिक समुत्थान भी है ; 1972 का 20

(7) "निर्धारिती" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो सेवा कर का संदाय करने के लिए दायी है और इसके अंतर्गत उसका अभिकर्ता भी है ;

(8) "प्राधिकृत सर्विस स्टेशन" से किसी आटोमोबाइल विनिर्माता द्वारा विनिर्मित किसी आटोमोबाइल की कोई सर्विस या मरम्मत करने के लिए उस आटोमोबाइल बिनिर्माता द्वारा प्राधिकृत कोई सर्विस स्टेशन या केन्द्र अभिप्रेत है ;

(9) "बैंककारी" और "बैंककारी कंपनी" के वही अर्थ होंगे जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ख) और खंड (ग) में क्रमशः उनके हैं ; 1949 का 10

(10) "बैककारी और अन्य वित्तीय सेवाओं" से किसी बैंककारी कंपनी या किसी वित्तीय संस्था, जिसके अंतर्गत गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी भी है, द्वारा प्रदान की गई निम्नलिखित सेवाएं हैं, अर्थात् :--

(i) वित्तीय पट्टा सेवाएं, जिसके अंतर्गत किसी निगमित निकाय द्वारा उपस्कर पट्टे पर देना और अवक्रय करना है ;

(ii) क्रेडिट कार्ड सेवाएं ;

(iii) वणिक् बैंकिंग सेवाएं ;

(iv) प्रतिभूति और विदेशी मुद्रा (फौरेक्स) दलाली ;

(v) आस्ति प्रबंधन, जिसके अंतर्गत पोर्टफोलियो प्रबंधन, सभी प्रकार के निधि प्रबंधन, पेंशन निधि प्रबंधन, अभिरक्षा संबंधी निक्षेपागार और न्यास सेवाएं भी हैं किन्तु इसके अंतर्गत रोकड़ प्रबंधन नहीं है ;

(vi) सलाहकार और अन्य सहायक वित्तीय सेवाएं, जिसके अंतर्गत विनिधान और पोर्टफोलियो अनुसंधान और सलाह, समामेलन और अर्जन पर सलाह तथा निगमित पुनःसंरचना और युक्ति पर सलाह है ; और

(vii) सूचना और डाटा प्रसंस्करण का उपबंध और अंतरण ।

(11) "बोर्ड" से केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड अभिप्रेत है ; 1963 का 54

(12) " निगमित निकाय" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (7) में है ; 1956 का 1

(13) " प्रसारण" का वही अर्थ होगा जो प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 2 के खंड (ग) में है ; 1990 का 25

(14) " कैब" से मोटर कैब या मैक्सी कैब अभिप्रेत है ;

(15)" खान-पान प्रबंधक" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी प्रयोजन या अवसर के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी खाद्य, खाद्य निर्मितियों, एल्कोहाली या गैर-एल्कोहाली पेयों या क्राकरी और समरूप वस्तुओं या साज-सज्जाओं का प्रदाय करता है ;

(16) "समाशोधन और अग्रेषण अभिकर्ता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी दूसरे व्यक्ति को किसी रीति से समाशोधन और अग्रेषण संक्रियाओं से संबंधित कोई सेवा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराने में लगा हुआ है और इसके अंतर्गत परेषण अभिकर्ता है ;

(17) "कंप्यूटर नेटवर्क" का वही अर्थ है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ञ) में है ;

(18) " परामर्शी इंजीनियर" से कोई ऐसा वृत्तिक रूप से अर्हित इंजीनियर या इंजीनियरी फर्म अभिप्रेत है, जो इंजीनियरी की एक या अधिक शाखाओं में किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सलाह, परामर्श या तकनीकी सहायता प्रदान करती है ;

(19) "कन्वेंशन" से एक प्ररूपक बैठक या सभा अभिप्रेत है, जो साधारण जनता के लिए खुली नहीं है, किन्तु जिसके अंतर्गत ऐसी बैठक या सभा नहीं है जिसका मुख्य उद्देश्य किसी प्रकार का आमोद-प्रमोद, मनोरंजन या मनबहलाव करना है ;

(20) "कुरियर अभिकरण" से, ऐसा वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है, जो समय- प्रभाव-ग्रहणशील दस्तावेजों, माल या वस्तुओं को ले जाने के लिए या उनके साथ जाने के लिए, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति की सेवाओं का उपयोग करते हुए ऐसी दस्तावेजों, माल या वस्तुओं के घर-घर परिवहन में लगा हुआ है ;

(21) "क्रेडिट रेटिंग अभिकरण" से ऐसा वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है जो किसी ऋण बाध्यता या वित्त की अपेक्षा करने वाले किसी परियोजना या कार्यक्रम की, चाहे ऋण के रूप में हो या अन्यथा, क्रेडिट रेटिंग के कारबार में लगा हुआ है और इसके अंतर्गत किसी वित्तीय बाध्यता, लिखत या प्रतिभूति की, जिसका प्रयोजन किसी संभावी विनिधानकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को ब्याज या मूलधन के समय पर संदाय संबंधी सुरक्षा से संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध कराना है, क्रेडिट रेटिंग भी है ;

1962 का 52 (22) "सीमाशुल्क सदन अभिकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 146 की उपधारा (2) के अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन अस्थायी रूप से या अन्यथा अनुज्ञप्त है ;

(23) "डाटा" का वही अर्थ है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ण) में है;

(24) "इलेक्ट्रानिक अभिलेख" का वही अर्थ है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 के खंड (द) में है ;

(25) "अनुकृति" (फैक्स) से, दूर संचार का वह रूप अभिप्रेत है जिसके द्वारा स्थिर ग्राफिक आकृतियों जैसे मुद्रित पाठ और तस्वीरें स्कैन की जाती है और सूचना को दूर संचार प्रणाली पर पारेषण के लिए विद्युत संकेतों में संपरिवर्तित किया जाता है ।

1934 का 2 (26) " वित्तीय संस्था"का वही अर्थ है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झ के खंड (ग) में है ;

1972 का 57 (27) " साधारण बीमा कारबार" का वही अर्थ है जो साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 3 के खंड (छ) में है ;

1930 का 3 (28) " माल" का वही अर्थ है जो माल विक्रय अधिनियम, 1930 की धारा 2 के खंड (7) में है ;

2000 का 2 (29) " सूचना"का वही अर्थ है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 के खंड (v) में है ;

1938 का 4 (30) " बीमा अभिकर्ता" का वही अर्थ है जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के खंड (10) में है ;

(31) " बीमा सहायक सेवा" से ऐसी कोई सेवा अभिप्रेत है जो किसी बीमांकक, मध्यवर्ती या बीम मध्यवर्ती या किसी बीमा अभिकर्ता द्वारा साधारण बीमा कारबार के संबंध में उपलब्ध कराई जाती है और इसके अंतर्गत जोखिम निर्धारण, दावा निपटारा, सर्वेक्षण और हानि निर्धारण है ;

(32) " मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती" का वही अर्थ है जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ठ) के उपखंड (च) में है ;

(33) "बीमाकर्ता" से भारत में साधारण बीमा कारबार करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(34) "आंतरिक साज-सज्जक" से, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो सलाह, परामर्श, तकनीकी सहायता के रूप में या किसी अन्य रीति से, स्थानों की योजना, डिजाइन बनाने या उन्हें सजाने, चाहे मानव निर्मित हो या अन्यथा, से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने के कारबार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगा हुआ है और इसके अंतर्गत परिदृश्य डिजाइनर भी है ;

(35) "पट्टा पर दिए गए सर्किट" से अभिदाता के अनन्य उपयोग के लिए नियत दो अवस्थानों के मध्य उपलब्ध कराई गई कोई समर्पित योजक अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत वाक् सर्किट, डाटा सर्किट या तार सर्किट भी है ;

(36) "चुंबकीय भंडारण युक्ति" के अंतर्गत मोम के ब्लैंक, डिस्क या ब्लैंक, मूल ध्वन्यांकन के प्रयोजन के लिए फिल्म की पट्टियां हैं ;

(37) "प्रबंध परामर्शी" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी संगठन के प्रबंध के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी रीति से, कोई सेवा उपलब्ध कराने में लगा हुआ है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है, जो किसी संगठन की किसी कार्य प्रणाली की संकल्पना, अभिकल्पना, विकास, परिष्करण, सुधार या उन्नयन से संबंधित कोई सलाह, परामर्श या तकनीकी सहायता प्रदान करता है ;

1882 का 4 (38) " मंडप" से संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 3 में यथापरिभाषित कोई स्थावर संपत्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत वहां का कोई ऐसा फर्नीचर, फिक्सचर, प्रकाश फिटिंग और उसमें की फर्श की बिछायतें हैं, जो किसी अधिकारिक, सामाजिक या कारबार संबंधी समारोह आयोजित करने के लिए प्रतिफलार्थ भाड़े पर दी जाती हैं ;

(39) " मंडप चलाने वाला" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी आधिकारिक, सामाजिक या कारबार संबंधी समारोह आयोजित करने के लिए प्रतिफलार्थ किसी मंडप के अस्थायी अधिभोग की अनुज्ञा देता है ;

(40) " जनशक्ति भर्ती अभिकरण" से कोई ऐसा वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है जो किसी कक्षीकार को जनशक्ति की भर्ती के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी रीति से कोई सेवा उपलब्ध कराने में लगा हुआ है ;

(41) "बाजार अनुसंधान अभिकरण" से कोई ऐसा वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है, जो किसी उत्पाद, सेवा या उपयोगिता, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की ग्राहक-अपेक्षित और व्यवसायिक रूप से संघटित अनुसंधान सेवाएं हैं, के संबंध में किसी भी रीति से बाजार अनुसंधान करने में लगा हुआ है ;

1988 का 59 (42) "मैक्सी कैब" का वही अर्थ है जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (22) में है ;

1988 का 59 (43) "मोटर कैब"का वही अर्थ है जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (25) में है ;

1934 का 2 (44) "गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी" का वही अर्थ है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झ के खंड (च) में है ;

(45) "ऑन-लाइन सूचना और डाटा आधारित पहुंच या पुनःवापसी" से अभिप्रेत है, किसी ग्राहक को किसी कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से इलेक्ट्रानिक अभिलेख में पुनःवापस किए जाने योग्य या अन्यथा डाटा या सूचना उपलब्ध कराना ;

(46) "पेजर" से ऐसा उपकरण, यंत्र या साधित्र अभिप्रेत है जो वाणी रहित सूचना-संकेत के साथ एक-तरफा व्यक्तिगत संबोधन पद्धति है और जिसमें संख्यात्मक या वर्ण-संख्यात्मक संदेश प्राप्त करने, संग्रह करने और संप्रदर्शित करने का सामर्थ्य है ;

(47) "फोटोग्राफी" के अंतर्गत स्थिर फोटोग्राफी, चलचित्र पिक्चर फोटोग्राफी, लेजर फोटोग्राफी, हवाई फोटोग्राफी, प्रतिदीप्ति फोटोग्राफी है ;

(48) "फोटोग्राफी स्टूडियो या अभिकरण" से कोई वृत्तिक फोटोग्राफर या ऐसा कोई वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है जो फोटोग्राफी से संबंधित सेवा देने के कारबार में लगा है ;

1938 का 4 (49) "पालिसी धारक" का वही अर्थ है जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के खंड (2) में है ;

1963 का 38 (50) "पत्तन" का वही अर्थ है जो महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 2 के खंड (थ) में है ;

(51) "पत्तन सेवा" से ऐसी कोई सेवा अभिप्रेत है जो किसी जलयान या माल के संबंध में किसी रीति से किसी पत्तन द्वारा दी जाती है ;

(52) "व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउन्टेंट" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय चार्टर्ड अकाउन्टेंट संस्थान का सदस्य है और चार्टर्ड अकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 के उपबंधों के अधीन अनुदत्त व्यवसाय-प्रमाणपत्र धारण कर रहा है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा समुत्थान भी है, जो चार्टर्ड लेखा-कर्म के क्षेत्र में सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है ; 1949 का 38

(53) "व्यवसायरत लागत लेखापाल" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत का लागत और संकर्म लेखापाल संस्थान का सदस्य है और लागत और संकर्म अकाउन्टेंट अधिनियम, 1959 के उपबंधों के अधीन अनुदत्त व्यवसाय-प्रमाणपत्र धारण कर रहा है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा समुत्थान भी है, जो लागत लेखाकर्म के क्षेत्र में सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है ; 1959 का 23

(54) "व्यवसायरत कंपनी सचिव" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का सदस्य है और कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अधीन अनुदत्त व्यवसाय-प्रमाणपत्र धारण कर रहा है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा समुत्थान भी है, जो कंपनी सचिव के क्षेत्र में सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है ; 1980 का 56

(55) "विहित" से इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(56) "स्थावर संपदा अभिकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्थावर संपदा के विक्रय, क्रय, पट्टे या किराए पर देने के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है और इसके अंतर्गत स्थावर संपदा परामर्शी भी है ;

(57) "स्थावर संपदा परामर्शी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्थावर संपदा के मूल्यांकन, संकल्पना, डिजाइन, विकास, सन्निर्माण, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण, अनुरक्षण, विपणन, अर्जन या प्रबंध के संबंध में किसी रीति से सलाह, परामर्शी या तकनीकी सहायता, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान करता है ;

(58) "मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज" का वही अर्थ है जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में है ; 1956 का 42

(59) "कैब भाड़े पर देने की स्कीम आपरेटर" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कैबों को भाड़े पर देने के कारबार में लगा हुआ है ;

(60) "वैज्ञानिक या तकनीकी परामर्श" से किसी वैज्ञानिक या किसी तकनीक-तंत्री या किसी विज्ञान या प्रौद्योगिकी संस्था या संगठन द्वारा किसी कक्षीकार को विज्ञान या प्रौद्योगिकी की एक या अधिक शाखाओं में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी रीति से, दी गई कोई सलाह, परामर्शी या वैज्ञानिक या तकनीकी सहायता अभिप्रेत है ;

(61) "प्रतिभूति" का वही अर्थ है जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में है ; 1956 का 42

(62) "सुरक्षा अभिकरण" से ऐसा कोई वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है जो किसी जंगम या स्थावर संपत्ति या किसी व्यक्ति की किसी रीति से सुरक्षा से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के कारबार में लगा है और इसके अंतर्गत सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराने की सेवाओं सहित किसी तथ्य या क्रियाकलाप के, चाहे वह वैयक्तिक प्रकृति का हो या अन्यथा, अन्वेषण, पता लगाने या सत्यापन की सेवाएं भी हैं ;

(63) "सेवा-कर" से इस अध्याय के उपबंधों के अधीन उद्ग्रहणीय कर अभिप्रेत है ;

(64) "पोत" से समुद्रगामी जलयान अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत नौ-चालन जलयान भी है ;

(65) "पोत परिवहन लाइन" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी पोत का स्वामी है या उसे चार्टर करता है और इसके अंतर्गत ऐसा उद्यम भी है, जो पोत-परिवहन के कारबार का प्रचालन करता है या उसका प्रबंध करता है ;

(66) "ध्वन्यांकन" से चुंबकीय भंडारण युक्ति पर ध्वनि का अंकन और किसी रीति से उसका संपादन अभिप्रेत है ;

(67) "ध्वन्यांकन स्टुडियो या अभिकरण" से कोई ऐसा वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है, जो ध्वन्यांकन से संबंधित कोई सेवा देने के कारबार में लगा हुआ है ;

(68) "स्टीमर अभिकर्ता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से,-

(क) पोत के प्रबंध या प्रस्थान के संबंध में किसी सेवा के निष्पादन, जिसके अंतर्गत उससे संबंधित प्रशासनिक कार्य को प्रदान करना भी है ; या

(ख) किसी पोत परिवहन लाइन के लिए या उसकी ओर से स्थोरा बुक करने, उसे विज्ञापित करने या उसका प्रचार करने ; या

(ग) पोत परिवहन लाइन के लिए या उसकी ओर से आधान सहायक पोषक सेवाएं उपलब्ध कराने,

का कार्य हाथ में लेता है;

(69) "शेयर दलाल" से कोई ऐसा शेयर दलाल अभिप्रेत है जिसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार शेयर दलाल के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है या वह उस रूप में रजिस्ट्रीकृत है ; 1992 का 15

(70) "उप दलाल" से कोई ऐसा उप दलाल अभिप्रेत है जिसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार उप दलाल के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है या वह उस रूप में रजिस्ट्रीकृत है ; 1992 का 15

(71) "अभिदाता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको तार प्राधिकारी द्वारा टेलीफोन कनेक्शन या अनुकृति या पट्टा पर दिए गए सर्किट या पेजर या तार या टेलेक्स की कोई सेवा उपलब्ध कराई गई है ;

(72) "कराधेय सेवा" से कोई ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो निम्नलिखित को उपलब्ध कराई जाती है :-

(क) किसी विनिधानकर्ता को, मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के विक्रय या क्रय के संबंध में, किसी शेयर दलाल द्वारा ;

(ख) किसी अभिदाता को, किसी टेलीफोन कनेक्शन के संबंध में, तार प्राधिकारी द्वारा ;

(ग) किसी अभिदाता को, किसी पेजर के संबंध में, तार प्राधिकारी द्वारा ;

(घ) किसी पालिसी धारक को, साधारण बीमा कारबार के संबंध में, साधारण बीमा कारबार करने वाले किसी बीमाकर्ता द्वारा ;

(ङ) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, विज्ञापनों के संबंध में, किसी विज्ञापन अभिकरण द्वारा ;

(च) किसी ग्राहक को, समय-प्रभाव-ग्रहणशील दस्तावेजों, माल या वस्तुओं के घर-घर तक परिवहन के संबंध में किसी कुरियर अभिकरण द्वारा ;

(छ) किसी कक्षीकार को, इंजीनियरी की एक या अधिक शाखाओं में किसी रीति से सलाह, परामर्शी या तकनीकी सहायता के संबंध में किसी परामर्शी इंजीनियर द्वारा ;

(ज) किसी कक्षीकार को, वाहनों के प्रवेश या प्रस्थान अथवा माल के आयात या निर्यात के संबंध में किसी सीमाशुल्क सदन अभिकर्ता द्वारा ;

(झ) किसी पोत परिवहन लाइन को, पोत के प्रबंध या प्रस्थान या उससे संबंधित किसी प्रशासनिक कार्य तथा आधान सहायक सेवा सहित स्थोरा बुक करने, उसे विज्ञापित या उसके लिए प्रचार करने के संबंध में किसी स्टीमर अभिकर्ता द्वारा ;

(ञ) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, समाशोधन और अग्रेषण संक्रियाओं के संबंध में किसी समाशोधन और अग्रेषण अभिकर्ता द्वारा ;

(ट) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, जनशक्ति की भर्ती के संबंध में किसी जनशक्ति भर्ती अभिकरण द्वारा ;

(ठ) किसी ग्राहक को, वायु मार्ग द्वारा यात्रा के लिए यात्रा बुक करने के संबंध में, किसी वायु मार्ग यात्रा अभिकर्ता द्वारा ;

(ड) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, किसी मंडप के उपयोग के संबंध में मंडप लगाने वाले द्वारा, जिसके अंतर्गत ऐसे उपयोग और खान-पान प्रबंधक के रूप में की गई सेवाओं, यदि कोई हो, के संबंध मे किसी ग्राहक को उपलब्ध कराई गई सुविधाएं भी हैं ;

(ढ) किसी व्यक्ति को, किसी पर्यटन के संबंध में किसी पर्यटन आपरेटर द्वारा ;

(ण) किसी व्यक्ति को, कैब को भाड़े पर देने के संबंध में किसी कैब को भाड़े पर देने की स्कीम के आपरेटर द्वारा ;

(त) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से अपनी वृत्तिक हैसियत में किसी वास्तुविद् द्वारा ;

(थ) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, स्थानों की योजना, डिजाइन बनाने या सजाने, चाहे मानवनिर्मित हों या अन्यथा, के संबंध में किसी आंतरिक साज-सज्जक द्वारा;

(द) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, किसी संगठन के प्रबंध के संबंध में किसी प्रबंध परामर्शी द्वारा ;

(ध) किसी कक्षीकार को, अपनी वृत्तिक हैसियत में किसी रीति से, किसी व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा ;

(न) किसी कक्षीकार को, अपनी वृत्तिक हैसियत में किसी रीति से, किसी व्यवसायरत लागत लेखापाल द्वारा ;

(प) किसी कक्षीकार को, अपनी वृत्तिक हैसियत में किसी रीति से, किसी व्यवसायरत कंपनी सचिव द्वारा ;

(फ) किसी कक्षीकार को, किसी स्थावर संपदा के संबंध में किसी स्थावर संपदा अभिकर्ता द्वारा ;

(ब) किसी कक्षीकार को, किसी संपत्ति या व्यक्ति की सुरक्षा के संबंध में सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराके या अन्यथा किसी सुरक्षा अभिकरण द्वारा और इसके अंतर्गत किसी तथ्य या क्रियाकलाप के अन्वेषण, पता लगाने या सत्यापन की सेवाओं का उपलब्ध कराया जाना भी है ;

(भ) किसी कक्षीकार को, किसी वित्तीय बाध्यता, लिखत या प्रतिभूति की क्रेडिट रेटिंग के संबंध में किसी क्रेडिट रेटिंग अभिकरण द्वारा ;

(म) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, किसी उत्पाद, सेवा या उपयोगिता के लिए बाजार अनुसंधान के संबंध में किसी बाजार अनुसंधान अभिकरण द्वारा ;

(य) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से हामीदारी के संबंध में किसी हामीदार द्वारा;

(यक) किसी कक्षीकार को, वैज्ञानिक या तकनीकी परामर्श के संबंध में किसी वैज्ञानिक या किसी तकनीक-तंत्री या किसी विज्ञान या प्रौद्योगिकी संस्था या संगठन द्वारा ;

(यख) किसी ग्राहक को, फोटोग्राफी से संबंधित किसी रीति से, किसी फोटोग्राफी स्टूडियो या अभिकरण द्वारा ;

(यग) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से कन्वेंशन आयोजित कराने के संबंध में किसी वाणिज्यिक समुत्थान द्वारा ;

(यघ) किसी अभिदाता को, पट्टे पर दिए गए सर्किट के संबंध में तार प्राधिकरण द्वारा ;

(यङ) किसी अभिदाता को, तार के माध्यम से संसूचना के संबंध में तार प्राधिकरण द्वारा ;

(यच) किसी अभिदाता को, टैलेक्स के माध्यम से संसूचना के संबंध में तार प्राधिकरण द्वारा ;

(यछ) किसी अभिदाता को, प्रतिरूप संचार के संबंध में तार प्राधिकरण द्वारा ;

(यज) किसी ग्राहक को, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से इलेक्ट्रानिक अभिलेख में किसी रीति से ऑन लाइन सूचना और डाटा आधारित पहुंच या पुनर्वापसी,या दोनों के संबंध में किसी वाणिज्यिक समुत्थान द्वारा ;

(यझ) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, वीडियो टेप निर्माण के संबंध में किसी वीडियो निर्माण अभिकरण द्वारा ;

(यञ) किसी कक्षीकार को, किसी भी प्रकार के ध्वन्यांकन के संबंध में किसी ध्वन्यांकन स्टूडियो या कंपनी द्वारा ;

(यट) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, प्रसारण के संबंध में किसी प्रसारण अभिकरण या संगठन द्वारा ;

(यठ) किसी पालिसी धारक को, बीमा सहायक सेवा के संबंध में किसी बीमांकक या मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती या बीमा अभिकर्ता द्वारा ;

(यड) किसी ग्राहक को, बैंककारी और अन्य वित्तीय सेवाओं के संबंध में किसी बैंककारी कंपनी या वितीय संस्था द्वारा, जिसके अंतर्गत गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी भी है ;

(यढ) किसी व्यक्ति को किसी रीति से पत्तन सेवाओं के संबंध में किसी पत्तन द्वारा ;

(यण) किसी ग्राहक को, किसी ऑटोमोबाईल सेवा या मरम्मत के संबंध में किसी रीति से, किसी प्राधिकृत सेवा स्टेशन द्वारा,

और "सेवा प्रदाता" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(73) "तार" का वही अर्थ है जो भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 3 के खंड (1) में है ; 1885 का 13

(74) "तार प्राधिकारी" का वही अर्थ है जो भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 3 के खंड (6) में है और इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति है जिसे उस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के पहले परंतुक के अधीन अनुज्ञप्ति दी गई है ; 1885 का 13

(75) "टैलेक्स" से टैलेक्स एक्सचेंजों के माध्यम से टेलीप्रींटर का उपयोग करके टाईप की गई संसूचना अभिप्रेत है ;

(76) "पर्यटन" से एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा अभिप्रेत है चाहे ऐसे स्थानों के बीच की दूरी कुछ भी हो ;

(77) "पर्यटक यान" का वही अर्थ है जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (43) में है ; 1988 का 59

(78) "पर्यटक आपरेटर" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो मोटर यान अधिनियम, 1988 के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुदत्त अनुज्ञापत्र के अंतर्गत आने वाले किसी पर्यटक यान में पर्यटन कराने के कारबार में लगा हुआ है ; 1988 का 59

(79) "हामीदार" का वही अर्थ है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) नियम, 1993 के नियम 2 के खंड (च) में है ;

(80) "हामीदारी" का वही अर्थ है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) नियम, 1993 के नियम 2 के खंड (छ) में है ;

(81) "जलयान" का वही अर्थ है जो महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 2 के खंड (य) में है ; 1963 का 38

(82) "वीडियो निर्माण अभिकरण" से कोई वृत्तिक वीडियोग्राफर या कोई वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है, जो वीडियोटेप निर्माण से संबंधित सेवा प्रदान करने के कारबार में लगा हुआ है ;

(83) "वीडियो टेप निर्माण" से किसी चुंबकीय टेप पर किसी कार्यक्रम, घटना या समारोह के किसी अंकन की प्रक्रिया अभिप्रेत है ;

(84) वे शब्द और पद, जो इस अध्याय में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं है और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, जहां तक हो सके, सेवा-कर के संबंध में वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे उत्पाद-शुल्क के संबंध में लागू होते हैं ;"; 1944 का 1

(ख) धारा 66 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

सेवा-कर का प्रभार।

"66. (1) इस अध्याय के प्रारंभ की तारीख से ही, धारा 65 के खंड (72) के उपखंड (क), उपखंड (ख) और उपखंड (घ) में निर्दिष्ट कराधेय सेवाओं के मूल्य के पांच प्रतिशत की दर से कर (जिसे इसमें इसके पश्चात् सेवा-कर कहा गया है) उद्गृहीत और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संगृहीत किया जाएगा ।

(2) वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1996 की धारा 85 के अधीन अधिसूचित तारीख से, धारा 65 के खंड (72) के उपखंड (ग), उपखंड (ङ) और उपखंड (च) में निर्दिष्ट कराधेय सेवाओं के मूल्य के पांच प्रतिशत की दर से सेवा-कर उद्गृहीत और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संगृहीत किया जाएगा । 1996 का 33

(3) वित्त अधिनियम, 1997 की धारा 88 के अधीन अधिसूचित तारीख से, धारा 65 के खंड (72) के उपखंड (छ), उपखंड (ज), उपखंड (झ), उपखंड (ञ), उपखंड (ट), उपखंड (ठ), उपखंड (ड), उपखंड (ढ) और उपखंड (ण) में निर्दिष्ट कराधेय सेवाओं के मूल्य के पांच प्रतिशत की दर से सेवा-कर उद्गृहीत और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संगृहीत किया जाएगा । 1997 का 26

(4) वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1998 की धारा 116 के अधीन अधिसूचित तारीख से, धारा 65 के खंड (72) के उपखंड (त), उपखंड (थ), उपखंड (द), उपखंड (ध), उपखंड (न), उपखंड (प), उपखंड (फ), उपखंड (ब), उपखंड (भ), उपखंड (म) और उपखंड (य) में निर्दिष्ट कराधेय सेवाओं के मूल्य के पांच प्रतिशत की दर से सेवा-कर उद्गृहीत और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संगृहीत किया जाएगा । 1998 का 21

(5) वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 130 के अधीन अधिसूचित तारीख से, धारा 65 के खंड (72) के उपखंड (यक), (यख), (यग), (यघ), (यङ), (यच), (यछ), (यज), (यझ), (यञ), (यट), (यठ), (यड), (यढ) और (यण) में निर्दिष्ट कराधेय सेवाओं के मूल्य के पांच प्रतिशत की दर पर सेवाकर उद्गृहीत और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संगृहीत किया जाएगा ।"।

(ग) धारा 67 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

सेवा-कर प्रभारित करने के लिए कराधेय सेवाओं का विधिमान्यकरण।

"67. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, किसी कराधेय सेवाओं का मूल्य, सेवा प्रदाता द्वारा दी गई ऐसी सेवा के लिए, उसके द्वारा प्रभारित सकल रकम होगी ।

स्पष्टीकरण--शंकाओं के निराकरण के लिए, यह घोषित किया जाता है कि कराधेय सेवा के मूल्य के अंतर्गत, यथास्थिति, निम्नलिखित हैं,--

(क) किसी दलाल द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय या क्रय पर प्रभारित कमीशन या दलाली का योग, जिसके अंतर्गत किसी स्टॉक-दलाल द्वारा किसी उपदलाल को संदत्त कमीशन या दलाली भी है ;

(ख) किसी अभिदाता द्वारा टेलीफोन या पेजर या अनुकृति या टैलेक्स कनेक्शन या पट्टे पर सर्किट के लिए आवेदन के समय किए गए किसी निक्षेप से तार प्राधिकारी द्वारा किया गया समायोजन ;

(ग) बीमाकर्ता द्वारा पालिसीधारक से प्रभारित प्रीमियम की रकम ;

(घ) वायुयान लाइन से वायुमार्ग यात्रा अभिकर्ता द्वारा प्राप्त कमीशन ;

(ङ) किसी बीमांकक या मध्यवर्ती या बीमा अभिकर्ता द्वारा बीमाकर्ता से प्राप्त कमीशन ; और

(च) विनिर्माता द्वारा विनिर्मित किसी आटोमोबाईल की कोई सेवा चलाने के लिए ऐसे विनिर्माता से प्राधिकृत सर्विस स्टेशन द्वारा प्राप्त प्रतिपूर्ति,

किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं,--

(क) अभिदाता द्वारा टेलीफोन कनेक्शन या पेजर या अनुकृति या तार या टैलेक्स या पट्टे पर सर्किट के लिए आवेदन के समय किया गया आरंभिक निक्षेप ;

(ख) सेवा प्रदान करने के प्रक्रम के दौरान ग्राहक को विक्रीत बिना खुली फोटोग्राफी फिल्म, बिना अंकित चुंबकीय टेप या ऐसी अन्य भंडारण युक्तियां, यदि कोई हो ;

(ग) सेवा प्रदान करने या आटोमोबाईल की मरम्मत के प्रक्रम के दौरान ग्राहक को विक्रीत पुर्जों या उपसाधनों की, यदि कोई हो, लागत ।"।

(घ) धारा 69 में, "केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक" शब्द रखे जाएंगे।

(ङ) धारा 70 और धारा 71 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"70. सेवा-कर का संदाय करने के लिए दायी प्रत्येक व्यक्ति, उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में शोध्य कर का स्वयं निर्धारण करेगा और ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से तथा ऐसे अंतराल पर, जो विहित किया जाए, एक विवरणी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक को देगा । विवरणियों का दिया जाना।

71. (1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक, धारा 70 के अधीन निर्धारिती द्वारा फाइल की गई विवरणी में अंतर्विष्ट जानकारी के आधार पर प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में निर्धारिती द्वारा निर्धारित कर की शुद्धता का सत्यापन करेगा । निर्धारिती द्वारा निर्धारित कर का सत्यापन, आदि।

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक, जब भी अपेक्षित हो, ऐसे किन्हीं लेखाओं, प्रस्तावों या अन्य साक्ष्य, जो वह ऐसे सत्यापन के लिए आवश्यक समझे, पेश करने के लिए निर्धारिती से अपेक्षा कर सकेगा ।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन सत्यापन पर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक की यह राय है कि प्रदान की गई किसी सेवा के संबंध में सेवा-कर निर्धारण से छूट गया है या कम निर्धारित किया गया है तो वह उस मामले को, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त को निर्दिष्ट करेगा, जो निर्धारण का ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।";

(च) धारा 72 में,--

(क) "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं ", यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ख) में, "धारा 71की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना के सभी निबंधनों का अनुपालन करने में" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 71 के निबंधनों का अनुपालन करने में" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(छ) धारा 73 में,--

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(क) यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त के पास यह विश्वास करने का कारण है कि निर्धारिती की ओर से धारा 70 के अधीन कोई विवरणी फाइल करने या धारा 71 के अधीन किसी विहित अवधि के लिए उसके निर्धारण के सत्यापन के लिए अपेक्षित सभी तात्विक तथ्यों को पूर्ण रूप से या सही प्रकट करने में लोप या असफलता के कारण कराधेय सेवा का मूल्य निर्धारण से छूट गया है या अवनिर्धारित किया गया है या किसी राशि का, भूलवश प्रतिदाय किया गया है, या ";

(ii) खंड (ख) में, "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "अवनिर्धारित की गई है" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"यथास्थिति, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त के पास, उसके कब्जे में जानकारी के परिणामस्वरूप यह विश्वास करने का कारण है कि किसी विहित अवधि में निर्धारणीय किसी कराधेय सेवा का मूल्य निर्धारण से छूट गया है या अवनिर्धारित किया गया है या किसी राशि का भूलवश प्रतिदाय किया गया है";

(iii) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**स्पष्टीकरण**--जहां सेवा की सूचना, न्यायालय के किसी आदेश द्वारा रोक दी जाती है वहां ऐसे रोके जाने की अवधि, इस धारा के अधीन, यथास्थिति, पांच वर्ष या छह मास की अवधि की संगणना करने में छोड़ दी जाएगी ।";

(ज) धारा 74 में, "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, ", यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त" शब्द रखे जाएंगे ;

(झ) धारा 75 में, "प्रत्येक ऐसे मास या मास के भाग के लिए, जिस तक कर या किसी भाग को इस प्रकार जमा करने में विलंब किया गया है, डेढ़ प्रतिशत की दर से" शब्दों के स्थान पर, "उस अवधि के लिए, जिस तक कर या किसी भाग को इस प्रकार जमा करने में विलंब किया गया है, चौबीस प्रतिशत वार्षिक की दर से" शब्द रखे जाएंगे ;

(ञ) धारा 75 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"75क. धारा 68 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा-कर का संदाय करने के लिए दायी ऐसा कोई व्यक्ति, धारा 69 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, पांच सौ रुपए की राशि का, शास्ति के रूप में, संदाय करेगा ।"; रजिस्ट्रीकरण में असफलता के लिए शास्ति।

(ट) धारा 77 में, "उतनी राशि का, जो प्रत्येक ऐसे सप्ताह या उसके भाग के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, एक सौ रुपए से कम की नहीं होगी किंतु दो सौ रुपए की हो सकेगी" शब्दों के स्थान पर, "एक हजार रुपए तक की राशि का," शब्द रखे जाएंगे ;

(ठ) धारा 78 में, "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं ", यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त" शब्द रखे जाएंगे ;

(ड) धारा 79 में, "यदि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी का" शब्दों से आरंभ होने वाले और "धारा 71 की उपधारा (1) के अधीन सूचना का अनुपालन करने में असफल रहा है" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"यदि, यथास्थिति, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त का, इस अध्याय के अधीन किसी कार्यवाहियों के प्रक्रम में, यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति धारा 71 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहा है,";

(ढ) धारा 82 में, "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, ", यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त" शब्द रखे जाएंगे ;

(ण) धारा 84 में,--

(क) उपधारा (1) में, "उसके अधीनस्थ केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में, "केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "यथास्थिति, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त" शब्द रखे जाएंगे ;

(त) धारा 85 में, "केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "यथास्थिति, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त" शब्द रखे जाएंगे ;

(थ) धारा 86 में,--

(क) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"(2) बोर्ड, यदि वह धारा 84 के अधीन केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा पारित किसी आदेश का विरोध करता है तो केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को उस आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण में अपील करने का निर्देश दे सकेगा ;

(2क) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त, यदि वह धारा 85 के अधीन केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किसी आदेश का विरोध करता है तो, यथास्थिति, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त को उस आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण में अपील करने का निर्देश दे सकेगा ।"।

(ख) उपधारा (3) में, "या उपधारा (2)" शब्दों, कोष्ठक और अंक के स्थान पर, "या उपधारा (2) या उपधारा (2क)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (4) में, "यथास्थिति, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी" से प्रारंभ होने वाले और "या उपधारा (2) के अधीन अपील की है," शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"यथास्थिति, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त या निर्धारिती, यह सूचना प्राप्त होने पर कि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (2क) के अधीन अपील की गई है,";

(घ) उपधारा (6) में, "उपधारा (2) में" शब्दों, कोष्ठक और अंक के स्थान पर, "या उपधारा (2) या उपधारा (2क)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ।